Form No. 111

फर्द अहकाम

नियम 20

जज अदालत उपखण्ड अधिकारी कोटड़ी मुकाम

काना बनाम बगता, नगा

किस्म मुकदमा राजस्व वाद नं. 6/16 सन्

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
11/6/16	पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत शिविर 'न्याय आपके द्वार' मुकाम तेजा का वास में प्रस्तुत। वादीगण का कथन है कि वादीगण व प्रतिवादीगण के सजरा खानदान में मूल पुरूष केहा थे जिनके तीन पुत्र हकमा, नगा एवं काना हुए। हकमा व नगा बडे भाई होने के नाते केहा की मृत्यु के बाद वादग्रस्त आराजियात उनके नाम पर दर्ज कर दी व काना का नाम दर्ज होने से रह गया, जबकि वादग्रस्त आराजियात के 1/3 हिस्से पर वादीगण का कब्जा चला आ रहा है अतः काना पिता केहा के फौत होने के बाद रामा, कालीबाई, किस्तूरी पत्नि स्व. काना का कब्जा काश्त चला आ रहा है। वाद ग्रस्त आराजियात के 1/3 हिस्से का वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावें। प्रकरण पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादीगण द्वारा प्रकरण में राजीनामा पेश कर निवेदन किया कि वादीगण का वाद माफिक जर्पना का स्वीकार किया जाता है तो हमें कोई आपत्ती नही है। अतः प्रस्तुत राजीनामा अनुसार वादी का वाद स्वीकार किया जाता है एवं मौजा तेजा का वास पटवार क्षेत्र तेजा का	वादी रामी प्रतिवादी बगता नन्दा (सिका) (जगा)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	व वादीगण रामा पिता काना, काली बाई पुत्री काना एवं विजुडी पत्नि स्व. काना को खातेदार घोषित किया जाता है एवं शेष 2/3 हिस्सा में 1/3 में वगता, मेशा, सका जवाना पिता हकमा एवं पुनी देवी पत्नि स्व. हकमा। 1/3 हिस्से में नगा पिता केहा को खातेदार रखा जाता है। पत्रावली निर्णित होकर संख्या से कम हो। निर्णय सुनाया गया। उपखण्ड अधिकारी कोटड़ा (जिला उदयपुर)	

डिक्री व मुकद्दमें इब्तदाई

(आदेश 20 के नियम 6 और 7 सि.प्र.सं.)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ~~मोगुन्दा~~ कोटड़ा जिला उदयपुर

पीठासीन अधिकारी श्री गोपाल लाल मीना (RAS) कोटड़ा

मुकदमा 6/16 सन् 12/05/16 सीगह

श्री रामा पिता काना, कालीबाई पुत्री काना, विजुड़ी पत्नि स्व काना, निवासी तेजा का वास

बनाम वगता, भैरा, सका; जवाना पिता हकमा, नगा पिता केहा, निवासी तेजा का वास

दावा बाबत् 88 RT Act.

यह मुकद्दमा आज वास्ते अन्तिम निपटारा किये जाने श्री गोपाल लाल मीना के समक्ष प्रस्तुत हुआ ।

वादी की ओर से वकील श्री — प्रतिवादी की ओर से वकील —

की उपस्थिति में आदेश दिया जाता है और डिक्री दी जाती है कि मौजा तेजा का वास पटवार हल्का तेजा का वास तह० कोटड़ा की जमाबन्दी संवत् 2070 से 73 के खाता संख्या 234 में वर्णित आराजियात में किता 30 रकबा 15.14 भूमि के 1/3 हिस्से का वादीगण रामा पिता काना, काली बाई पुत्री काना, विजुड़ी पत्नि स्व. काना को 1/3 हिस्से का प्रतिवादीगण वगता, भैरा, सका, जवाना पिता हकमा पुनी देवी पत्नि स्व. हकमा को, 1/3 हिस्से का नगा पिता केहा को खातेदार घोषित किया जाता है।

और इस वाद के खर्चे लेखे — रुपये की राशि — आज की तारीख से वसूली की तारीख तक उस पर — प्रतिशत की दर से ब्याज सहित — द्वारा — को दी जाये।

यह आज तारीख 12/05/2016 मार सन् को मेरे से हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दी गई है।

(गोपाल लाल मीना)

हस्ताक्षर न्यायाधीश

पद उपखण्ड अधिकारी कोटड़ा (जिला उदयपुर)

वाद के खर्चे

वादी	रुपये	पैसे	प्रतिवादी	रुपये	पैसे
वाद पत्र के लिये स्टाम्प स्टाम्प वकालात नामा प्रदर्शों के लिये स्टाम्प महनताना वकील) पर खर्चा गवाह फीस कमिश्नर आदेशित की तामील विविध खर्चे			स्टाम्प प्रार्थना पत्र स्टाम्प वकालात नामा प्रदर्शों के लिये स्टाम्प महनताना वकील) पर खर्चा गवाह फीस कमिश्नर आदेशित की तामील विविध खर्चे		